


बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अर्जन निदेशालय)
अधिघोषणा

पटना, तारीख: 8/3/13

सं०.....रा० चूँकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-डुमरी चादर नं०-01, थाना नं०-34, सर्वे थाना-मसौढ़ी, जिला-पटना में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् बिहटा-सरमेरा राज्य उच्च पथ सं०-78 के निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है। इसलिए, इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम-डुमरी, चादर नं०-01, थाना नं०-34 के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कम-वेश-6.195 एकड़ के बराबर होता है और जिसका सर्वे खेसरा संख्या-657, 659, 665, 667, 671, 672, 673, 675, 695, 696, 737, 738, 742, 750 एवं 784 सभी अंश भाग वो खेसरा संख्या-658, 666, 739, 740 एवं 741 सभी पूर्ण भाग है और जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है-

- उत्तर : खेसरा संख्या-657, 658, 665, 666, 672, 664, 655, 738, 739, 741, 750, 773, 740 एवं 652 सभी अंश भाग।
- पूरब : खेसरा संख्या-663, 672, 671, 673, 675, 695, 696, 738, 739, 740, 738, 742, 746, 747, 749, 773 एवं 741 सभी अंश भाग।
- दक्षिण : खेसरा संख्या-658, 659, 666, 667, 671, 673, 675, 695, 696, 737, 742, 747, 784, 739 एवं 741, 738 सभी अंश भाग।
- पश्चिम : खेसरा संख्या-680, 664, 666, 665, 671, 672, 673, 675, 695, 696, 739, 751, 775 एवं 738 सभी अंश भाग।

भूमि या भूमि के किसी खास भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों और खनिजों के केवल वे भाग, जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है उसके निर्माण के लिए खोदना, हटाना या उपयोग में लाना आवश्यक हो ले, लिए जायेंगे। यह घोषणा अधिनियम 1, 1894 की धारा 6 और अधिनियम 18, 1885 की धारा 3 के खंड (1) यथा संशोधित अधिनियम के धारा 4 सन् 1961 एवं सन् 1984 के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे संबंध हो। भूमि का मानचित्र जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पटना के कार्यालय में देखा जा सकेगा।


समाहर्ता
पटना


बिहार राज्यपाल के आदेश से

301
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक सं0-

दिनांक: 8/3/13

1. प्रतिलिपि तीन अतिरिक्त प्रतियों सी0डी0 के साथ निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार, पटना को दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदा0, पटना को भेजने हेतु प्रेषित।
2. प्रतिलिपि प्रभारी उप समाहर्ता, जिला गजट, पटना को जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट की 5-5 प्रतियां इस विभाग एवं जिला भू-अर्जन कार्यालय, पटना को भेजने हेतु प्रेषित।
3. प्रतिलिपि समाहर्ता/जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।